रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2016/चैत्र 17, 1938
No. 251] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2016/ CHAITRA 17 , 1938

IndCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 404(अ).–केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम की अनुसूची III में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची III में कंपनी का तुलनपत्र और लाभ-हानि विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्रभाग-I

किसी कंपनी के वित्तीय विवरण जिसके वित्तीय विवरण कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अनुसरण में होने अपेक्षित हैं।

किसी कंपनी के तुलनपत्र और लाभ-हानि विवरण को तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

3. मूल अधिनियम की अनुसूची III में अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्रभाग-II

किसी कंपनी के वित्तीय विवरण जिसके वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार तैयार किए जाते है।

भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) का अनुपालन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश

1. प्रत्येक कंपनी जिसको भारतीय लेखांकन मानक लागू होते हैं, अपने वित्तीय विवरण इस अनुसूची के अनुसार या कतिपय परिस्थितियां में यथासंभव ऐसे संशोधनों के अनुसार तैयार करेगी।

2. यदि किसी कंपनी के लिए लागू भारतीय लेखांकन मानक सहित अधिनियम की अपेक्षाओँ का अनुपालन (सुसंगत इंडएएस द्वारा विहित द्रव्यता के क्रम में आस्तियों और दायित्वओँ को दर्शाने के विकल्प को छोड़कर) करने में वित्तीय विवरणों या इसके किसी भाग के विवरणों में शीर्ष अथवा उपशीर्ष में कोई परिवर्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन या लोप सहित व्यवहार या प्रकटीकरण अथवा परस्पर कोई संशोधन या परिवर्तन अपेक्षित हो तो वह किया जाएगा और इस अनुसूची के अधीन अपेक्षाएं तद्नुसार संशोधित मानी जाएंगी।

3. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाएं भारतीय लेखांकन मानकों में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओँ को प्रतिस्थापित करते हुए नहीं बल्कि उनमें जोड़ते हुए हैं। भारतीय लेखांकन मानकों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रकीटकरण टिप्पणी या अतिरिक्त विवरण अथवा विवरणों द्वारा किया जाएगा जब तक कि वित्तीय विवरणों के मुख्य पृष्ठ पर प्रकटीकरण करना अपेक्षित न हो। इसी प्रकार कंपनी अधिनियम में यथाअपेक्षित अन्य सभी प्रकटीकरण इस अनुसूची में निर्धारित अपेक्षाओँ के अतिरिक्त टिप्पणियों में किए जाएंगे।

4. (i) टिप्पणियों में वही सूचना दी जाएगी जो वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत न की गई हो और इसमें जहां अपेक्षित हो - (क) व्याख्यात्मक वर्णन या इन्न विवरणों में प्रकट की गई मदो का विभाजन और (ख) उन मदो के बारे में सूचना जिन्हें इन विवरणों में प्रकट न किया गया हो, दी जाएगी।

(ii) तुलनपत्र, साम्या में परिवर्तन के विवरण और लाभ-हानि विवरण के मुख्य पृष्ठ की प्रत्येक मद को टिप्पणियों में किसी प्रांसगिक सूचना से अन्योन्य निर्दिष्ट किया जाएगा। टिप्पणियों सहित वित्तीय विवरण तैयार करने में अतिरिक्त विवरण, जो वित्तीय विवरण के प्रयोक्ताओं को सहायता न करे और बहुत अधिक एकीकरण करने के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सूचना न देने के बीच संतुलन रखा जाएगा।

5. कंपनी के आवर्त के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाने वाले आंकड़े निम्नलिखित प्रकार से पूर्णांकित किए जाएंगे -

आवर्त	**पूर्णांकित करना**
(i) सौ करोड़ रुपए से कम	निकटतम सैंकड़ा, हजार, लाख या मिलियन या उसका दशमलव
(ii) एक सौ करोड़ रुपए या अधिक	निकटतम लाख, मिलियन या करोड़ या उसका दशमलव

एक बार किसी माप की इकाई का उपयोग किए जाने पर वित्तीय विवरण में उसका ही एकसमान रूप से उपयोग किया जाएगा।

6. निगमन के बाद कंपनी के समक्ष रखे जाने वाले पहले वित्तीय विवरण को छोड़कर तत्काल पहले की सूचना भी अवधि के लिए टिप्पणियों सहित वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई सभी मदों के लिए तत्स्थायी रकम (तुलनात्मक) होनी चाहिए।

7. वित्तीय विवरणों में सभी 'भौतिक' मदों अर्थात् जो मदें अलग से या सामुहिक रूप से उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं जिनका प्रयोक्ताओँ द्वारा वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोग किया जाता है, प्रकट की जाएंगीं। भौतिकता का निर्णय विशेष परिस्थितियों में मद के आकार या प्रकृति या दोनों को मिलाकर किया जाएगा।

8. इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए इसमें प्रयुक्त पदों का वही अर्थ होगा जो भारतीय लेखांकन मानकों में उनका है।

9. यदि किसी कंपनी के एकमात्र वित्तीय विवरण में किए जाने वाले विशेष प्रकटीकरणों के लिए कोई अधिनियम या नियम के अंतर्गत अपेक्षा हो तो ऐसे प्रकटीकरण इस अनुसूची के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरणों के अलावा किए जाएंगें ।

टिप्पण: अनुसूची में वित्तीय विवरणों जहां लागू हों अर्थात् तुलन-पत्र, अवधि के लिए साम्या में परिवर्तनों का विवरण अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में परिवर्तन ('लाभ और हानि' पद का वही अर्थ है जो 'लाभ और हानि' पद का है) और टिप्पणियां, रोकड़ प्रवाह विवरण सुसंगत भारतीय लेखांकन मानक की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए जाएगें।

लाइन मद, उप लाइन मद और उपयोग को वर्धन क रूप में या वित्तीय विवरणियों को देखते हुए प्रतिस्थापन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जब ऐसा प्रस्तुतीकरण कंपनी की वित्तीय प्रस्तुति या निष्पादन का उद्योग की सेवार्थ या सेंटर विनिर्दिष्ट प्रकटन अपेक्षाओँ से सुसंगत हो या एक कंपनी अधिनियम, 2013 के संशोधनों के अनुपालन करने या भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है।

Indiacode

भाग-I-तुलनपत्र

कंपनी का नाम

तुलनपत्र की स्थिति के अनुसार

(..... रुपए में)

	विशिष्टियां	**टिप्पण संख्या**	**वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत तक आंकड़े**	**पूर्व रिपोर्टाधीन अवधि के अंत तक आंकड़े**
	1	2	3	4
	आस्तियां			
(1)	**गैर चालू आस्तियां**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण			
	(ख) चालू पूंजीगत कार्य			
(2)	(ग) विनिधान संपत्ति			
	(घ) साख			
	(ङ) अन्य अमूर्त आस्तियां			
	(च) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां			
	(छ) धारक पादपों से भिन्न जैविक आस्तियां			
	(ज) वित्तीय आस्तियां			
	(i) विनिधान			
	(ii) व्यापार प्राप्य			
	(iii) ऋण			
	(iv) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	(झ) अस्थगित कर आस्तियां (निवल)			
	(ञ) अन्य गैर चालू आस्तियां			
	चालू आस्तियां			
	(क) माल सूची/यां			
	(ख) वित्तीय आस्तियां			
	(i) विनिधान			
	(ii) व्यापार प्राप्य			
	(iii) नकद और नकद के समकक्ष			
	(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बैंक शेष			
	(v) ऋण			
	(vi) अन्य (उल्लेख करें)			
	(ग) चालू कर आस्तियां (निवल)			
	(घ) अन्य चालू आस्तियां			
	कुल आस्तियां			

IndiaCode

	साम्या और दायित्व			
(1)	**साम्या**			
(2)	(क) साम्या शेयरपूंजी			
	(ख) अन्य साम्या			
	दायित्व			
	गैर चालू दायित्व			
	(क) वित्तीय दायित्व			
	(i) ऋण			
	(ii) व्यवसाय भुगतान			
	(iii)अन्य वित्तीय दायित्व (निम्नलिखित मद (ख) में विनिर्दिष्ट के अलावा हों तो उल्लेख करें)			
	(ख) उपबंध			
	(ग) अस्थगित ऋण दायित्व (निवल)			
	(घ) अन्य गैर चालू दायित्व			
	चालू दायित्व			
	(क) वित्तीय दायित्व			
	(i) ऋण			
	(ii) व्यवसाय भुगतान			
	(iii)अन्य वित्तीय दायित्व (निम्नलिखित मद (ग) में विनिर्दिष्ट के अलावा हों तो उल्लेख करें)			
	(ख) अन्य चालू दायित्व			
	(ग) उपबंध			
	(घ) चालू कर दायित्व (निवल)			
	कुल साम्या और दायित्व			

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें।

IndiaCode

साम्या में परिवर्तन का विवरण

कंपनी का नाम

..... को समाप्त अवधि के लिए साम्या में परिवर्तन का विवरण

क. साम्या शेयरपूंजी

रिपोर्टाधीन अवधि के प्रारंभ में बकाया शेष	वर्ष के दौरान साम्या शेयरपूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टाधीन अवधि के अंत तक बकाया शेष

ख. अन्य साम्या

	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	मिश्रित वित्तीय लिखत का साम्या घटक	आरक्षित और अधिक्य										शेयर अधिपत्र के प्रति प्राप्त धनराशि	योग
			पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित	अन्य आरक्षित (प्रकार का उल्लेख करें)	प्रतिधारण आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण लिखत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से साम्या	कैश फ्लो सीमा का प्रभावी हिस्सा	पुनः मूल्यांकन अधिक्य	किसी विदेशी कंपनी के वित्तीय विवरण का	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (प्रकार		

								लिखत			अनुवाद करने पर मुद्रा अंतर	का उल्लेख करें)		
रिपोर्टाधीन अवधि के प्रारंभ में बकाया शेष														
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा अवधि से पहले की त्रुटियां														
रिपोर्टाधीन अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष														
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय														
लाभांश														
प्रतिधारण आय में अंतरण														
अन्य कोई परिवर्तन (उल्लेख करें)														
रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में बकाया शेष														

IndiaCode

टिप्पण: लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय दायित्वों के अपने ऋण जोखिम से संबंधित निर्धारित लाभ योजनाओं और उचित मूल्य परिवर्तनों का पुनः मापन को प्रतिधारण आय का ही एक भाग माना जाएगा और टिप्पणियों में संबंधित धनराशि के साथ ऐसी मदों के लिए अलग से प्रकटीकरण किया जाएगा।

टिप्पणियां

तुलन-पत्र तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

1. किसी आस्ति को चालू रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब.-

 (क) इसे कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में वसूल करने की प्रत्याशा की जाती है या विक्रय या उपयोग करने के लिए आशयित है।

 (ख) वह आस्ति को मूल रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखता हो;

 (ग) इसे रिपोर्ट की जाने वाली अवधि के पश्चात् बारह माह के भीतर वसूल करने की प्रत्याशा की जाती है; और

 (घ) यह रोकड़ या रोकड़ के समतुल्य है जब तक यह परिवर्तन करने के लिए या रिपोर्ट किए जाने वाली तारीख के पश्चात् कम से कम बारह मास के लिए दायित्व के निबटान का प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित है।

 अन्य सभी आस्तियां अनावर्ती रूप में वर्गीकृत होंगी।

2. प्रचालन चक्र रोकड़ या समतुल्य रोकड़ में उनके वसूले जाने और प्रसंस्करण के लिए आस्तियों के अर्जन के मध्य का समय है। जहां सामान्य प्रचालन चक्र दर्शित नहीं किया जा सकता है, यह बारह मास की अवधि होगी।

3. दायित्व चालू रूप में वर्गीकृत होगा जब.-

(क) इसे सामान्य प्रचालन चक्र में निपटाए जाने की प्रत्याशा की जाती है।

(ख) यह व्यापार किए जाने के उद्देश्य से धारित है।

(ग) इसे रिपोर्ट किए जाने वाली तारीख के पश्चात् बारह मास के भीतर निपटाया जाना शोध्य है या

(घ) कंपनी रिपोर्ट की जाने वाली तारीख के पश्चात् कम से कम बारह मास के लिए दायित्व के निपटान से भिन्न अशर्त अधिकार रखती है। दायित्व के निबंधन जो कि प्रतिलेखन के विकल्प पर साम्या लिखत के मुद्दे इसके वर्गीकरण को प्रभावी नहीं करते, के द्वारा इसके निपटान के परिणाम हो सकता है।

अन्य सभी दायित्व अनावर्ती रूप में वर्गीकृत होंगे।

4. प्राप्ति "व्यापार में लिए जाने योग्य के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह बेचे गए माल के लेखा पर शोध्य रकम या कारबार के सामान्य अनुक्रम में दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में है"।

5. संदाय "सदेय व्यापार" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि वह खरीदे गए माल के लेखा पर शोध्य रकम या कारबार के सामान्य अनुक्रम में प्राप्त की गई सेवाओं के संबंध में है।

6. कंपनी लेखाओं की टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकट करेगी-

क. गैर चालू आस्तियां

I. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(i) वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) भूमि

(ख) भवन

(ग) परियोजना और उपस्कर

(घ) फर्नीचर और फिक्सचर

(ङ) यान

(च) कार्यालय उपस्कर

(छ) वाहक परियोजना

(ज) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ii) पट्टे की आस्तियों को आस्तियों की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत पृथक रूप से वर्गीकृत किया जाएगा।

(iii) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में व्यापार समन्वय और अन्य समझौतों द्वारा योग, निपटान अधिग्रहण दर्शाने वाला प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों की कुल और निवल राशि का एक समन्वय और संबंधित अवमूल्यन और क्षति नुकसान/निराकरण को पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा।

II. विनिधान संपत्ति

रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में व्यापार समन्वय और अन्य समझौतों द्वारा योग, निपटान अधिग्रहण दर्शाने वाला प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों की कुल और निवल राशि का एक समन्वय और संबंधित अवमूल्यन और क्षति नुकसान/निराकरण को पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा।

III. सदभाव

रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में सद्भावना की कुल और निवल राशि का योग, नुकसान निपटान और अन्य समझौतों को दर्शाने वाला एक समन्वय।

IV. अन्य अमूर्त आस्तियां

IndiaCode

(i) वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) ब्रांड/ट्रेडमार्क

(ख) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर

(ग) मस्तूल शिखर और प्रकाशन शीर्षक

(घ) खनन अधिकार

(ङ) प्रतिलिप्याधिकार, पेटेन्ट, अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाएं और प्रचालन अधिकार

(च) नुस्खे, सूत्र, मॉडल, डिजाइन और प्रोटोटाइप।

(छ) अनुज्ञप्तियां और फ्रेंचाइज

(ज) अन्य (प्रकार का उल्लेख करें)

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत पर कारबार संयोजन और योग, निपटान अधिग्रहण अन्य समायोजनों तथा संबंधित अपाकरण और क्षति नुकसानी/प्रतिक्रय के माध्यम से जोड निपटाना, अर्जन दर्शित करने वाले प्रत्येक वर्ग की आस्तियों की सकल और कुल रकमों का समन्वय।

V. वाहक परियोजना के अतिरिक्त जैविक आस्तियां

रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में व्यापार समन्वय और अन्य समझौतों द्वारा योग, निपटान, अधिग्रहण दर्शाने वाला प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों की राशि का एक समन्वय को पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा।

VI. विनिधान

(i) विनिधानों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

(क) साम्या लिखतों में विनिधान;

(ख) अधिमान शेयरों में विनिधान;

(ग) सरकारी न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान

(घ) डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान

(ङ) पारस्परिक निधियों में विनिधान

(च) भागीदारी फर्मों में विनिधान

(छ) अन्य विनिधान (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

प्रत्येक वर्गीकरण के अधीन निगमित निकायों के नामों के ब्यौरे यह दर्शाते हुए कि क्या ऐसे निकाय (i) समनुषंगी (ii) सहयोगी (iii) संयुक्त उपक्रम या (iv) संरचित उपक्रम हैं जिसमें विनिधान किया गया है और ऐसे प्रत्येक निगमित में (उन विनिधानों को पृथक रूप से दर्शित करते हुए जो भागत संदत्त है) भागीदारी फर्मों में विनिधान में फर्मों के नाम उनके भागीदारों के नाम, कुल पूंजी और प्रत्येक भागीदार के शेयरों के साथ पृथक रूप से दिए जाएंगें।

(ii) निम्नलिखित का भी प्रकटीकरण किया जाएगा-

(क) कोट किए गए विनिधानों की सकल राशि और उसका बाजार मूल्य;

(ख) कोट नहीं किए गए विनिधानों की सकल रकम; और

(ग) विनिधान के मूल्य में हानि की औसत राशि;

VII. व्यापार प्राप्तियां

(i) व्यापार प्राप्तियां निम्नानुसार उप वर्गीकृत किए जाएंगे.-

IndiaCode

(क) प्रतिभूत अच्छा समझा गया

(ख) अप्रतिभूत अच्छा समझा गया

(ग) शंकास्पद।

(ii) अप्राप्य और शंकास्पद ऋणों के लिए भत्ते को सुसंगत शीर्षों के तहत पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।

(iii) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा या उनमें से कोई भी अकेले या अन्य किसी व्यक्ति के साथ सामूहिक रूप से अथवा फर्मों या निजी कंपनियों जिसमें क्रमशः कोई निदेशक साझेदार है या एक निदेशक या सदस्य द्वारा बकाया ऋण का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

VIII. उधार

(i) उधारों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा.-

(क) प्रतिभूति जमाएं;

(ख) संबंधित पक्षों को उधार (उसका विवरण देते हुए) ;

(ग) अन्य उधार (प्रकार का उल्लेख करें)

(ii) उपर्युक्त को भी पृथक रूप से निम्नानुसार उप वर्गीकृत किया जाएगा-

(क) प्रतिभूत, अच्छा समझा गया;

(ख) अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया;

(ग) शंकास्पद।

(iii) अप्राप्य और शंकास्पद ऋणों के लिए भत्ते को सुसंगत शीर्षों के तहत पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।

(iv) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा या उनमें से कोई भी अकेले या अन्य किसी व्यक्ति के साथ सामूहिक रूप से उधार अथवा फर्मों या निजी कंपनियों जिसमें क्रमशः कोई निदेशक साझेदार है या एक निदेशक या सदस्य द्वारा बकाया राशि का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

IX. बारह महीनों से अधिक परिपक्व बैंक जमाओं का 'अन्य वित्तीय आस्तियां' के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा;

X. अन्य गैर चालू आस्तियां: अन्य गैर चालू आस्तियां निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएंगी-

(i) पूंजी अग्रिम; अथवा

(ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम

1. पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

(क) प्रतिभूति जमाएं;

(ख) संबंधित पक्षों को अग्रिम (उसका विवरण देते हुए) ;

(ग) अन्य अग्रिम (प्रकार का उल्लेख करें)

2. कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें से किसी को एकल रूप में अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से दिया गया अग्रिम अथवा फर्मों या प्राइवेट कंपनियों जिसमें कोई निदेशक क्रमशः भागीदार अथवा कोई निदेशक अथवा सदस्य है, को अग्रिम अलग से कथित की जाए, यदि ऐसे अग्रिम संगत भारतीय लेखा मानक के अनुसार किसी वित्तीय आस्ति की प्रकृति के हैं, और इन्हें उनकी वित्तीय आस्तियों के अधीन अलग से प्रकट किया जाए।

(iii) अन्य (प्रकार का उल्लेख करें)

(ख) चालू आस्तियां

1. माल सूची

IndiaCode

(i) माल सूची निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएगी-

(क) कच्चा माल;

(ख) चालू कार्य;

(ग) तैयार माल;

(घ) भंडार माल (व्यापार के लिए उपार्जित माल के संबंध में);

(ङ) भंडारण और अतिरिक्त;

(च) फुटकर औजार;

(छ) अन्य (प्रकार का उल्लेख करें)

(ii) मार्गस्थ माल का माल सूची के सुसंगत उप शीर्ष के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा।

(iii) मूल्यांकन के तरीके का उल्लेख किया जाएगा।

II. विनिधान

(i) विनिधान निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

(क) साम्या लिखतों में विनिधान;

(ख) अधिमान शेयरों में विनिधान;

(ग) सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान

(घ) डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान

(ङ) पारस्परिक निधियों में विनिधान

(च) भागीदारी फर्मों में विनिधान

(छ) अन्य विनिधान (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत जिनमें विनिधान किया गया है उन कारपोरेट निकायों के नामों, (i) समनुषंगियां, (ii) सहायक, (iii) संयुक्त उद्यम, या (iv) संरचित उपक्रम का विवरण और प्रत्येक कारपोरेट निकाय में इस तरह किए गए विनिधान का प्रकार और सीमा का विवरण (आंशिक रूप से चुकता विनिधान को पृथक रूप से दर्शाते हुए) दिया जाएगा । साझेदारी फर्म में विनिधानों का प्रकटीकरण फर्मों के नामों, उनके साझेदारों कुल पूंजी और प्रत्येक साझेदार के शेयरों सहित किया जाएगा।

(ii) निम्नलिखित का भी प्रकटीकरण किया जाएगा-

(क) कोट किए गए विनिधानों की सकल राशि और उसका बाजार मूल्य;

(ख) कोट नहीं किए गए विनिधानों की सकल रकम; और

(ग) विनिधान के मूल्य में हानि की औसत राशि;

III. व्यापार प्राप्तियां

(i) व्यापार प्राप्तियां निम्नानुसार उप वर्गीकृत किए जाएंगे.-

(क) प्रतिभूत अच्छा समझा गया

(ख) अप्रतिभूत अच्छा समझा गया

(ग) शंकास्पद।

(ii) डूबंत और संदेहपूर्ण ऋणों के लिए छूट का संबंधित शीर्षों के तहत पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।

IndiaCode

(iii) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा या उनमें से कोई भी अकेले या अन्य किसी व्यक्ति के साथ सामूहिक रूप से बकाया ऋण अथवा फर्मों या निजी कंपनियों जिसमें क्रमशः कोई निदेशक साझेदार है या एक निदेशक या सदस्य द्वारा बकाया ऋण का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

IV. नकद और नकद समतुल्य: नकद और नकद समतुल्य निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाएंगे-

(क) बैंकों में अधिशेष (नकद और नकद समतुल्य);

(ख) हस्तगत चैंक, ड्रॉफ्ट

(ग) हस्तगत नकद

(घ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

V. उधार

(i) उधारों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा.-

(क) प्रतिभूति जमाएं;

(ख) संबंधित पक्षों को उधार (उसका विवरण देते हुए) ; और

(ग) अन्य उधार (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ii) उपर्युक्त को भी पृथक रूप से निम्नानुसार उप वर्गीकृत किया जाएगा.-

(क) प्रतिभूत अच्छा समझा गया

(ख) अप्रतिभूत अच्छा समझा गया

(ग) शंकास्पद।

(iii) डूबंत और संदेहपूर्ण उधार के लिए छूट का संबंधित शीर्षों के तहत पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।

(iv) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा या उनमें से कोई भी अकेले या अन्य किसी व्यक्ति के साथ सामूहिक रूप से बकाया उधार अथवा फर्मों या निजी कंपनियों जिसमें क्रमशः कोई निदेशक साझेदार है या एक निदेशक या सदस्य द्वारा बकाया राशि का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

VI. अन्य चालू आस्तियां (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें): यह एक सर्व समावेशी शीर्षक है उन आस्तियों की कोई अन्य श्रेणी, जो चालू आस्तियों के उपयुक्त नहीं है, को शामिल करता है। अन्य चालू आस्तियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

(i) पूंजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम-

1. पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

(क) प्रतिभूति जमाएं;

(ख) संबंधित पक्षों को अग्रिम (उसका विवरण देते हुए) ;

(ग) अन्य अग्रिम (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

2. कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों को या उनमें से कोई भी अकेले या अन्य किसी व्यक्ति के साथ सामूहिक रूप से दी गई अग्रिम राशि अथवा फर्मों या निजी कंपनियों जिसमें क्रमशः कोई निदेशक साझेदार है या एक निदेशक या सदस्य को दी गई अग्रिम राशि का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

(ii) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ग) नगदी और बैंक अधिक्य: नगदी और बैंक अधिशेषों के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरण किया जाएगा-

(क) बैंकों में अधिक्य (उदाहरण के लिए अदत्त लाभांश) का पृथक रूप से उल्लेख किया जाएगा।

IndiaCode

(ख) उधारी, गारंटी अन्य सुपुर्दगी के विरुद्ध मार्जिन राशि या प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास अधिक्य का पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।

(ग) नगदी और बैंक अधिक्य के मामले में प्रत्यावर्तन पाबंदिया यदि कोई हो, का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

(घ) साम्या: I. साम्या शेयर पूंजी

साम्या शेयर पूंजी की प्रत्येक श्रेणी के लिए-

(क) प्राधिकृत शेयरों की संख्या और राशि;

(ख) जारी, अभिदत्त और पूर्णरूप से चुकता तथा अभिदत्त परंतु पूर्णरूप से नहीं चुकता शेयरों की संख्या;

(ग) प्रतिशेयर का अंकित मूल्य;

(घ) इस अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का एक समाधान;

(ङ) लाभांशों के वितरण और पूंजी के पुनः भुगतान पर नियंत्रण सहित शेयरों की प्रत्येक श्रेणी से संबंधित अधिकार, अधिमान और नियंत्रण;

(च) निजी कंपनी द्वारा या मुख्य नियंत्री कंपनी द्वारा नियंत्री कंपनी में प्रत्येक वर्ग के शेयर जिसमें समग्र रूप से नियंत्री कंपनी के समनुषंगी या सहायक या मुख्य नियंत्री कंपनी के शेयर शामिल है:

(छ) कंपनी में पांच प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयर धारकों के शेयरों की संख्या विनिर्दिष्ट करना;

(ज) विकल्प और संविदा अथवा शेयरों की बिक्री की प्रतिबद्धता अथवा विविनिधान के तहत जारी करने के लिए आरक्षित शेयर, जिसमें शर्तें एवं राशि सम्मिलित है।

(झ) तुलनपत्र तैयार होने की तारीख से तुरंत पूर्व की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए:

- संविदा के अनुसार बिना नकद भुगतान के पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों के रूप में आंबटित शेयरों की समग्र संख्या और वर्ग;
- बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयर के रूप में आबंटित शेयरों की समग्र संख्या और वर्ग; और
- वापस लाए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग।

(ञ) अवरोही क्रम में सबसे पुरानी तारीख से निकटतम तारीख सहित जारी की गई, किसी प्रतिभूति की अवधि जिसे साम्या शेयर में रूपांतरित किया जा सके।

(ट) अदत्त कौल (निदेशकों और अधिकारियों द्वारा अदत्त कौल का कुल मूल्य दर्शाया गया है)

(ठ) समपहृत शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि)

II. अन्य साम्या

(i) टिप्पण में 'अन्य आरक्षित' को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाएगाः

(क) पूंजी प्रतिदान आरक्षित;

(ख) डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित;

(ग) शेयर विकल्प बकाया खाता; और

(घ) अन्य (प्रत्येक आरक्षित की प्रकृति और उद्देश्य और उसमें निहित राशि बताए);

(अंतिम तुलनपत्र से प्रत्येक परिवर्धन और कटौती को प्रत्येक विनिर्दिष्ट शीर्ष के तहत दर्शाया जाना है)

(ii) प्रतिधारित आय अधिक्य दर्शाता है अर्थात् साम्या में बदलाव के विवरण में सुसंगत कॉलम का अधिक्य;

(iii) विशेष रूप से निर्धारित विनिधान का प्रतिनिधित्व करने वाले आरक्षित में इसके प्रतिनिधित्व का कारण बताया जाएगा; और

IndiaCode

(iv) लाभ एवं हानि के विवरण में नामे शेष को 'प्रतिधारित आय' शीर्ष के तहत नकारात्मक आंकड़े के रूप में दर्शाया जाएगा। उसी प्रकार प्रतिधारित आय के ऋण शेष को समायोजित करने के पश्चात् 'अन्य साम्या' के अधिक्य, यदि कोई हो, को 'अन्य साम्या' शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा, भले ही इसका परिणाम आंकड़ा नकारात्मक हो।

(v) 'अन्य साम्या' उपशीर्ष के तहत, प्रत्येक मदों की प्रकृति और राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(ङ) गैर चालू दायित्व

I. उधार राशियां:

(i) उधार राशियों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाएगा.-

(क) बांड अथवा डिबेंचर

(ख) मियादी ऋण

I. बैंको से

II. अन्य पार्टियों से

(ग) आस्थगित भुगतान दायित्व

(घ) जमा

(ङ) संबंधित पार्टियों से ऋण

(च) वित्तीय पट्टा बाध्यता की दीर्घावधि परिपक्व

(छ) मिश्रित वित्तीय लिखतों में दायित्व घटक

(ज) अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ii) उधार राशियों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत रूप में उप-वर्गीकृत किया जाएगा। प्रत्येक मामले में प्रतिभूति की प्रकृति को पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(iii) जहां ऋण को निदेशकों या अन्यों द्वारा गारंटी प्रदान की गई हो, वहां प्रत्येक शीर्ष के तहत ऐसे ऋणों की कुल राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(iv) बांड अथवा डिबेंचर (प्रतिदान या रूपांतरण, जैसा भी मामला हो के ब्याज दर और ब्यौरे सहित) को प्रथम प्रतिदान या रूपांतरण तिथि जैसा भी मामला हो, से शुरू करते हुए परिपक्व या रूपांतरण के अवरोही क्रम में स्पष्ट किया जाएगा। यदि बांड अथवा डिबेंचर किस्तों में प्राप्त की जा सकती है तो प्रथम देय किस्त की तारीख को इसकी परिपक्वता की तारीख माना जाएगा।

(v) किसी प्रतिदेय बांड अथवा डिबेंचर के ब्यौरे जिसके लिए कंपनी के पास उसे पुनः जारी करने की शक्ति हो, का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(vi) मियादी ऋण और अन्य ऋणों की पुनः अदायगी की शर्तों को स्पष्ट किया जाएगा और

(vii) उधार राशियों की पुनः अदायगी के लिए तुलनपत्र में दी गई तारीख की स्थिति के अनुसार चूक की अवधि एवं राशि को प्रत्येक मामले में पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

II. उपबंधः राशि को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाएगाः

(क) कर्मचारियों के हित के लिए उपबंध

(ख) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

III. अन्य गैर चालू दायित्वः

(क) अग्रिम; और

(ख) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

IndiaCode

च. चालू दायित्व

I. उधार राशियां

(i) उधार राशियों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाएगाः

(क) मांग के अनुसार प्रतिदेय ऋण

I. बैंको से

II. अन्य पार्टियों से

(ख) संबंधित पार्टियों से ऋण

(ग) जमाएं

(घ) अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ii) उधारों के आगे प्रतिभूत और अप्रतिभूत के रूप में उपवर्गीकृत किया जाएगा। प्रतिभूति की प्रकृति को भी प्रत्येक मामले में पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(iii) जहां ऋणों के लिए निदेशकों या अन्य द्वारा गारंटी दी गई है तो ऐसे ऋणों की संकलित राशि को प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(iv) ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में तुलनपत्र की तारीख पर लगातार डिफाल्ट की रकम और उसकी अवधि प्रत्येक दशा में पृथक रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी।

II. अन्य वित्तीय दायित्व: अन्य वित्तीय दायित्वों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा.-

(क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता;

(ख) वित्तीय पट्टा बाध्यता की वर्तमान परिपक्वता;

(ग) प्रोद्भूत ब्याज;

(घ) अदत्त लाभांश;

(ङ) प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि जिसे वापस किया जा सके और उस पर प्रोद्भूत ब्याज;

(च) अदत्त परिपक्व जमा और उस पर प्रोद्भूत ब्याज: और

(ज) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

'दीर्घावधि ऋण' एक प्रकार की उधार राशि है जिसकी अवधि उसकी शुरूआत के समय 12 महीनों से अधिक हो।

III. अन्य चालू दायित्व:

इन राशियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

(क) अग्रिम में प्राप्त राजस्व;

(ख) अन्य अग्रिम (प्रकृति स्पष्ट करें);

(ग) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें);

IV. उपबंधः इन राशियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगाः

(i) कर्मचारी हित के लिए उपबंध

(ii) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

IndiaCode

(छ) आस्तियों का समूह जिसे बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है और गैर चालू आस्तियां जिसे बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के साथ जुड़े दायित्वों का प्रस्तुतीकरण सुसंगत भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) के अनुसार होगा।

(ज) आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धता

(उपबंध न किए जाने की सीमा तक)

(i) आकस्मिक दायित्वों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा;

(क) ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए कंपनी के विरूद्ध दावें।

(ख) वित्तीय गांरटी रहित अन्य गांरटी

(ग) अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है।

(ii) प्रतिबद्धता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा;

(क) पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने से शेष और उपबंध नहीं की गई संविदाओं की प्राक्कलित रकम

(ख) शेयरों और अन्य भागत संदत्त विनिधानों पर अनाहूत दायित्व

(ग) अन्य प्रतिबद्धताएं (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(झ) इस अवधि के लिए साम्या और अधिमानी शेयरधारकों को वितरित की जाने वाली प्रस्तावित लाभांश की राशि और प्रति शेयर संबंधित राशि को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा। अधिमानी शेयरों पर स्थिर संचयी लाभांशों की बकाया राशि को भी पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

(त्र) यदि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार की गई प्रतिभूतियों को जारी करते समय यह पाया गया कि तुलनपत्र की तारीख तक उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए संपूर्ण राशि या उसका एक हिस्सा प्रयोग में नहीं लाया गया है तो टिप्पणी के माध्यम से यह सूचित किया जाएगा कि उस अप्रयुक्त राशि को कैसे प्रयोग में लाया गया था या उसका विनिधान कैसे किया गया।

7. यदि कोई कंपनी अनुदर्शीता से लेखांकन नीति लागू करता है या वित्तीय विवरण के मदों का पुनःवितरण तैयार करता है या जब वह कंपनी अपने वित्तीय विवरण में मदों को पुनः वर्गीकृत करता है तो कंपनी अपने तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई सबसे पहली तुलनात्मक अवधि की शुरूआत का 'तुलनपत्र' संलग्न करेगा।

8. आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि को सुसंगत भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार साम्या या दायित्व में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसी शेयर आवदन राशि जिसकी वापसी नहीं की जा सकती को साम्या शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा और ऐसी शेयर आवेदन राशि जिसकी वापसी की जा सकती है को 'अन्य वित्तीय दायित्व' के तहत दर्शाया जाएगा।

9. अधिमान शेयर, जिसमें जारी होने पर प्राप्त प्रीमियम को सुसंगत भारतीय लेखांकन मानक की आवश्यकताओं को अनुसार साम्या या दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तद्नुसार सुसंगत साम्या या दायित्व के वर्ग पर लागू होने संबंधी प्रकटीकरण और आवश्यक प्रस्तुतीकरण को आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिमान शेयरों पर लागू किया जाएगा।

उदाहरणार्थ, प्रतिदेय अधिमान शेयरों को 'उधार राशि' के रूप में 'गैर चालू दायित्व' के तहत वर्गीकृत और प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसी उधार राशियों पर लागू होने वाली प्रकटीकरण आवश्यकताओं को आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रतिदेय अधिमान शेयरों पर लागू किया जाएगा।

10. संयुक्त वित्तीय लिखते जैसे परिवर्तनीय डिबेंचर जिसे सुसंगत भारतीय लेखांकन मानक की आवश्यकताओं के अनुसार साम्या और दायित्व घटक में विभाजित किया गया है, को संबंधित 'साम्या' और 'दायित्व' शीर्ष के तहत वर्गीकृत और प्रस्तुत किया जाएगा।

11. नियामक आस्थगित खाता शेष को संगत भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

भाग-II – लाभ और हानि का विवरण

कंपनी का नाम

..... की अवधि के दौरान लाभ और हानि का विवरण

(रुपए में)

	ब्यौरे	टिप्पणी संख्या	•	चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े		पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
I	प्रचालन से प्राप्त राजस्व					
II	अन्य आय					

III	कुल आय (I+II)					
IV	**व्यय** प्रयुक्त सामग्री की लागत					
	स्टाक ईन ट्रेड की खरीद					
	तैयार माल, स्टाक-इन-ट्रेड और चालू कार्य की सूची में बदलाव					
	कर्मचारी हित व्यय					
	वित्त लागतें					
	अवमूल्यन एवं अपाकरण व्यय					
	अन्य व्यय					
	कुल व्यय (IV)					
V	असाधारण मदों और करो के पूर्व लाभ अथवा हानि (I-IV)					
VI	विशिष्ट मदें					
VII	कर के पूर्व लाभ अथवा (हानि) (V-VI)					
VIII	कर व्यय (1) वर्तमान कर (2) आस्थगित कर					
IX	निरंतर प्रचालनों की अवधि के लिए लाभ (हानि) (VII-VIII)					
X	अनिरंतर प्रचालनों से लाभ अवधि के लिए (हानि)					
XI	अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय					
XII	अनिरंतर प्रचालन (कर के बाद) (X-XI) से लाभ अथवा (हानि)					
XIII	(IX+XII) की अवधि के लिए लाभ अथवा (हानि)					
XIV	अन्य व्यापक आय क(i) वह मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (ii) उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। (ख) (i) वह मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा (ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।					
XV	(XIII+XIV) की अवधि के लिए कुल व्यापक आय (जिसमें इस अवधि के लिए लाभ(हानि) और अन्य व्यापक आय सम्मिलित हो)					
XVI	प्रति साम्या शेयर आय (निरंतर प्रचालन के लिए) (1) मूलभूत (2) तरलीकृत					
XVII	प्रति साम्या शेयर आय (अनिरंतर प्रचालन के लिए) (1) मूलभूत (2) तरलीकृत					

IndiaCode

XVIII	प्रति साम्या शेयर आय (निरंतर एवं अनिरंतर प्रचालनों के लिए) (1) मूलभूत (2) तरलीकृत					

वित्तीय विवरणी से संलग्न टिप्पणियों को देखें

टिप्पणी-

लाभ और हानि विवरण को तौयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

1. इस भाग के प्रावधान आय एंव व्यय खातों पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वह लाभ और हानि विवरण पर लागू होते है।

2. लाभ और हानि के विवरण में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगाः

(1) इस अवधि के लिए लाभ या हानि

(2) इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय

'कुल व्यापक आय' उपर्युक्त (1) और (2) का योग हैः

3. परिचालन से प्राप्त राजस्व को टिप्पणी में पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा

(क) उत्पादों की बिक्री (जिसमें उत्पाद शुल्क सम्मिलित है)

(ख) सेवाओं का विक्रय; और

(ग) अन्य परिचालन राजस्व;

4. वित्त लागतें: वित्त लागतों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाए।

(क) ब्याज

(ख) लाभांश मोच्य अधिमान शेयरों पर

(ग) विनिमय अंतरों को उधार लागतों का समायोजन माना गया है।

(घ) अन्य उधार लागतें (प्रकृति विविनिर्दिष्ट करें)

5. अन्य आय: अन्य आय निम्नानुसार वर्गीकृत की जाएगी।

(क) ब्याज आय

(ख) लाभांश आय

(ग) अन्य अप्रचालन आय (निवल खर्चें सीधे ऐसी आय माने जाएंगे)

(6) अन्य व्यापक आय का वर्गीकरण निम्न में किया जाएगा -

(क) मदें जो लाभ या हानि के रूप में पुनवर्गीकृत नहीं होगी।

(i) पुनमूल्यांकन अधिक्य में बदलाव

(ii) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनमापन

(iii) साम्या लिखते अन्य व्यापक आय के जरिए;

(iv) उचित मूल्य बदलाव जो वित्तीय दायित्व के स्वयं की क्रेडिट जोखिम जो उचित मूल्य पर लाभ व हानि के जरिए होती है संबंधित है।

(v) अन्य व्यापक आय का अंश एसोशिएट और संयुक्त उद्यमों में उस सीमा तक जो लाभ या हानि के रूप में वर्गीकृत नहीं की जा सकती है।

(vi) अन्य (प्रकृति विविनिर्दिष्ट करें)

(ख) मदें जो लाभ या हानि के रूप में पुनवर्गीकृत की जाएगी

(i) विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनियम अंतर

IndiaCode

(ii) ऋण लिखते अन्य व्यापक आय के लिए।

(iii) नकद बहाव **बचाव** में **बचाव** लिखित में लाभ हानि का प्रभावी भाग

(iv) अन्य व्यापक आय का हिस्सा एसोशिएट एवं संयुक्त उद्यम जो लाभ हानि की सीमा तक वर्गीकृत किया जा सके।

(v) अन्य (प्रकृति विविनिर्दिष्ट करें)

7. अतिरिक्त सूचना: कंपनी समग्र व्यय और आय के संबंध में टिप्पणी, अतिरिक्त सूचना के जरिए निम्नलिखित मदों का खुलासा करेगी-

(क) कर्मचारी फायदे व्यय (पृथक रूप से दर्शाते हुए (i) वेतन एवं मजदूरी (ii) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों को अभिदाय (iii) कर्मचारियों के शेयर आधारित भुगतान (iv) स्टाफ कल्याण खर्चे);

(ख) अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण व्यय;

(ग) आय या व्यय की कोई मद जो प्रचालन से प्राप्त राजस्व से 1 प्रतिशत से अधिक है या 1,00,0000 रू है या जो भी उच्चतर हो जो सामान्य अनुदेश के खंड 7 में कंपनी के वित्तीय विवरण के तैयार करने हेतु विविनिर्दिष्ट द्रव्यता के विचारार्थ के अतिरिक्त है;

(घ) ब्याज आय'

(ड़) ब्याज व्यय;

(च) लाभांश आय;

(छ) विनिधानों की बिक्री पर निवल लाभ अथवा हानि;

(ज) निवल लाभ अथवा हानि विदेशी मुद्रा संव्यवहार और अनुवाद पर (जो वित्तीय लागत से भिन्न मानी गई है);

(झ) लेखापरीक्षक का भुगतान (क) लेखापरीक्षक (ख) करारोपण मामलों हेतू; (ग) कंपनी विधि मामलों हेतू; (घ) अन्य सेवाओं हेतु (ड़) खर्चों की प्रतिपूर्ति;

(ञ) यदि कंपनी धारा 135 के अंतर्गत आती है तो कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों पर उपगत व्यय की राशि; और

(ट) असाधारण प्रकृति की मदों के ब्यौरे

8. विनियामक लेखा शेष में बदलाव को संगत भारतीय लेखा मानकों के अनुसार लाभ हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाएगा।

भाग III - समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

1. जहां कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है यथा समेकित तुनलपत्र, साम्या में बदलाव का समेकित विवरण और समेकित लाभ हानि विवरण, कंपनी आवश्यक परिवर्तन सहित इस अनुसूची की आवश्यकता जैसा कंपनी की तुलनपत्र, साम्या में बदलाव का विवरण और लाभ हानि विवरण के लिए आवश्यक है का अनुसरण करेगी। इसके अतिरिक्त समेकित वित्तीय विवरण में सूचना का खुलासा लागू भारतीय लेखा मानकों में विविनिर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार होगा जो कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल है, अर्थात्-

(i) लाभ या हानि जो गैर नियंत्रक ब्याज और मूल के स्वामी के कारण है लाभ हानि विवरण की प्रस्तुति अवधि के आबंटन के रूप में होगी इसके आगे कुल व्यापक आय जो गैर नियंत्रक ब्याज या मूल के स्वामी के कारण है की प्रस्तुति अवधि के आबंटन के रूप में लाभ हानि विवरण में होगी। पूर्व उल्लिखित खुलासे कुल व्यापाक आय हेतु साम्या में बदलाव के विवरण में भी किए जाएंगे। भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकता हेतु खुलासे के अतिरिक्त पूर्व उल्लिखित खुलासे अन्य व्यापक आय के संबंध में भी किए जाएंगे।

(ii) तुलनपत्र एवं साम्या में बदलाव, साम्या के भीतर का विवरण भी मूल के स्वामी की साम्या से पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) साम्या तरीके के प्रयोग हेतु विनिधानों का कारण बताना

2. समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना के रूप में खुलासा किया जाएगा।

IndiaCode

समूह में निकाय का नाम	**निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियां घटाए कुल दायित्व**		**लाभ या हानि में अंश**		**अन्य समेकित आय में शेयर**		**कुल व्यापक आय में शेयर**	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
मूल अनुषंगियां भारतीय 1. 2. 3. . . विदेशी 1. 2. 3. . . सभी अनुषंगियों में गैर नियंत्रक ब्याज एसोशिएट (साम्या तरीके के अनुसार विनिधान भारतीय 1. 2. 3. . . विदेशी 1. 2. 3. . . संयुक्त उद्यम (विनिधान साम्या तरीके के अनुसार) भारतीय 1. 2. 3.								

IndiaCode

. . विदेशी 1. 2. 3.								
कुल								

3. सभी सहायक, एसोशिएट और संयुक्त उद्यम (चाहे वे भारतीय या विदेशी हो) को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया जाएगा।

4. निकाय, सभी सहायकों, या एसोशिएट या संयुक्त उद्यमों जिसको समेकित वित्तीय विवरण में समेकित किया जाता है की सूची भी समेकित नहीं करने के कारणों के साथ खुलासा करना होगा।

[फा. सं. 17/62/2015-सीएल.v]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III अधिनियम स.आ. 902 अ दिनांक 26.03.2014 के जरिए दिनांक 1.4.2014 को प्रवृत्त हुआ।

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi , 6th April, 2016

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule III of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

2. In the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the principal Act) in Schedule III, for the heading "General instructions for preparation of Balance Sheet and Statements of Profit and Loss of a Company" the following shall be substituted, namely:-

"Division I

Financial Statements for a company whose Financial Statements are required to comply with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006.

GENERAL INSTURCTIONS FOR PREPARATION OF BALANCE SHEET AND STATEMENT OF PROFIT AND LOSS OF A COMPANY".

3. In the principal Act, in Schedule III, at the end, the following shall be inserted, namely:-

"Division II

Financial Statements for a company whose financial statements are drawn up in compliance of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

GENERAL INSTURCTIONS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF A COMPANY REQUIRED TO COMPLY WITH Ind AS

1. Every company to which Indian Accounting Standards apply, shall prepare its financial statements in accordance with this Schedule or with such modification as may be required under certain circumstances.

2. Where compliance with the requirements of the Act including Indian Accounting Standards (except the option of presenting assets and liabilities in the order of liquidity as provided by the relevant Ind AS) as applicable to the companies require any change in treatment or disclosure including addition, amendment, substitution or deletion in the head or sub-head or any changes inter se, in the financial statements or statements forming part thereof, the same shall be made and the requirements under this Schedule shall stand modified accordingly.

3. The disclosure requirements specified in this Schedule are in addition to and not in substitution of the disclosure requirements specified in the Indian Accounting Standards. Additional disclosures specified in the Indian Accounting

Standards shall be made in the Notes or by way of additional statement or statements unless required to be disclosed on the face of the Financial Statements. Similarly, all other disclosures as required by the Companies Act, 2013 shall be made in the Notes in addition to the requirements set out in this Schedule.

4. (i) Notes shall contain information in addition to that presented in the Financial Statements and shall provide where required-

(a) narrative descriptions or disaggregations of items recognised in those statements; and

(b) information about items that do not qualify for recognition in those statements.

(ii) Each item on the face of the Balance Sheet, Statement of Changes in Equity and Statement of Profit and Loss shall be cross-referenced to any related information in the Notes. In preparing the Financial Statements including the Notes, a balance shall be maintained between providing excessive detail that may not assist users of Financial Statements and not providing important information as a result of too much aggregation.

5. Depending upon the turnover of the company, the figures appearing in the Financial Statements shall be rounded off as below:

Turnover	Rounding off
(i) less than one hundred crore rupees	To the nearest hundreds, thousands, lakhs or millions, or decimals thereof.
(ii) one hundred crore rupees or more	To the nearest, lakhs, millions or crores, or decimals thereof.

IndiaCode

Once a unit of measurement is used, it should be used uniformly in the Financial Statements.

6. Financial Statements shall contain the corresponding amounts (comparatives) for the immediately preceding reporting period for all items shown in the Financial Statements including Notes except in the case of first Financial Statements laid before the company after incorporation.

7. Financial Statements shall disclose all 'material' items, i.e., the items if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size or nature of the item or a combination of both, to be judged in the particular circumstances.

8. For the purpose of this Schedule, the terms used herein shall have the same meanings assigned to them in Indian Accounting Standards.

9. Where any Act or Regulation requires specific disclosures to be made in the standalone financial statements of a company, the said disclosures shall be made in addition to those required under this Schedule.

Note: This Schedule sets out the minimum requirements for disclosure on the face of the Financial Statements, i.e., Balance Sheet, Statement of Changes in Equity for the period, the Statement of Profit and Loss for the period (The term 'Statement of Profit and Loss' has the same meaning as 'Profit and Loss Account') and Notes. Cash flow statement shall be prepared, where applicable, in accordance with the requirements of the relevant Indian Accounting Standard.

Line items, sub-line items and sub-totals shall be presented as an addition or substitution on the face of the Financial Statements when such presentation is relevant to an understanding of the company's financial position or performance or to cater to industry or sector-specific disclosure requirements or when required for compliance with the amendments to the Companies Act, 2013 or under the Indian Accounting Standards.

PART I –BALANCE SHEET

Name of the Company……..

Balance Sheet as at ……

(Rupees in……)

	Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period	Figures as at the end of the previous reporting period
	1	2	3	4
(1)	**ASSETS** **Non-current assets**			

	(a) Property, Plant and Equipment (b) Capital work-in-progress (c) Investment Property (d) Goodwill (e) Other Intangible assets (f) Intangible assets under development (g) Biological Assets other than bearer plants (h) Financial Assets (i) Investments (ii) Trade receivables (iii) Loans (iv) Others (to be specified) (i) Deferred tax assets (net) (j) Other non-current assets			
(2)	**Current assets** (a) Inventories (b) Financial Assets (i) Investments (ii) Trade receivables (iii) Cash and cash equivalents (iv) Bank balances other than (iii) above (v) Loans (vi) Others (to be specified) (c) Current Tax Assets (Net) (d) Other current assets			
	Total Assets			
	EQUITY AND LIABILITIES **Equity** (a) Equity Share capital (b) Other Equity **LIABILITIES**			
(1)	**Non-current liabilities** (a) Financial Liabilities (i) Borrowings (ii) Trade payables (iii) Other financial liabilities (other than those specified in item (b), to be specified) (b) Provisions (c) Deferred tax liabilities (Net) (d) Other non-current liabilities			
(2)	**Current liabilities** (a) Financial Liabilities (i) Borrowings (ii) Trade payables (iii) Other financial liabilities (other than those specified in item (c) (b) Other current liabilities			

IndiaCode

	(c) Provisions (d) Current Tax Liabilities (Net)			
	Total Equity and Liabilities			

See accompanying notes to the financial statements

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Name of the Company…….

Statement of Changes in Equity for the period ended ……

(Rupees in……)

A. Equity Share Capital

Balance at the beginning of the reporting period	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the reporting period

B. Other Equity

	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus				Debt instruments through Other Comprehensive Income	Equity Instruments through Other Comprehensive Income	Effective portion of Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of Other Comprehensive Income (specify nature)	Money received against share warrants	Total
			Capital Reserve	Securities Premium Reserve	Other Reserves (specify nature)	Retained Earnings								
Balance at the beginning of the reporting period														
Changes in accounting policy or prior period errors														
Restated balance at the beginning of the reporting period														
Total Comprehensive Income for the year														
Dividends														
Transfer to retained earnings														
Any other change (to be specified)														
Balance at the end of the reporting period														

IndiaCode

Note: Remeasurment of defined benefit plans and fair value changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at fair value through profit or loss shall be recognised as a part of retained earnings with separate disclosure of such items alongwith the relevant amounts in the Notes.

Notes:

GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF BALANCE SHEET

1. An entity shall classify an asset as current when-

(a) it expects to realise the asset, or intends to sell or consume it, in its normal operating cycle;

(b) it holds the asset primarily for the purpose of trading;

(c) it expects to realise the asset within twelve months after the reporting period; or

(d) the asset is cash or a cash equivalent unless the asset is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

An entity shall classify all other assets as non-current.

2. The operating cycle of an entity is the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash or cash equivalents. When the entity's normal operating cycle is not clearly identifiable, it is assumed to be twelve months.

IndiaCode

3. An entity shall classify a liability as current when-

(a) it expects to settle the liability in its normal operating cycle;

(b) it holds the liability primarily for the purpose of trading;

(c) the liability is due to be settled within twelve months after the reporting period; or

(d) it does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period. Terms of a liability that could, at the option of the counterparty, result in its settlement by the issue of equity instruments do not affect its classification.

An entity shall classify all other liabilities as non-current.

4. A receivable shall be classified as a 'trade receivable' if it is in respect of the amount due on account of goods sold or services rendered in the normal course of business.

5. A payable shall be classified as a 'trade payable' if it is in respect of the amount due on account of goods purchased or services received in the normal course of business.

6. A company shall disclose the following in the Notes:

A. Non-Current Assets

I. Property, Plant and Equipment :

(i) Classification shall be given as:

(a) Land

(b) Buildings

(c) Plant and Equipment

(d) Furniture and Fixtures

(e) Vehicles

(f) Office equipment

(g) Bearer Plants

(h) Others (specify nature)

(ii) Assets under lease shall be separately specified under each class of assets.

(iii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations and other adjustments and the related depreciation and impairment losses or reversals shall be disclosed separately.

II. Investment Property:

A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of property at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations and other adjustments and the related depreciation and impairment losses or reversals shall be disclosed separately.

III Goodwill:

A reconciliation of the gross and net carrying amount of goodwill at the beginning and end of the reporting period showing additions, impairments, disposals and other adjustments.

IV. Other Intangible assets:

(i) Classification shall be given as:

(a) Brands or trademarks

(b) Computer software

(c) Mastheads and publishing titles

(d) Mining rights

(e) Copyrights, patents, other intellectual property rights, services and operating rights

(f) Recipes, formulae, models, designs and prototypes

(g) Licenses and franchises

(h) Others (specify nature)

(ii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations and other adjustments and the related amortization and impairment losses or reversals shall be disclosed separately.

V. Biological Assets other than bearer plants:

A reconciliation of the carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations and other adjustments shall be disclosed separately.

VI. Investments:

(i) Investments shall be classified as:

(a) Investments in Equity Instruments;

IndiaCode

(b) Investments in Preference Shares;

(c) Investments in Government or trust securities;

(d) Investments in debentures or bonds;

(e) Investments in Mutual Funds;

(f) Investments in partnership firms; or

(g) Other investments (specify nature).

Under each classification, details shall be given of names of the bodies corporate that are-

(i) subsidiaries,

(ii) associates,

(iii) joint ventures, or

(iv) structured entities,

in whom investments have been made and the nature and extent of the investment so made in each such body corporate (showing separately investments which are partly-paid). Investments in partnership firms alongwith names of the firms, their partners, total capital and the shares of each partner shall be disclosed separately.

(ii) The following shall also be disclosed:

(a) Aggregate amount of quoted investments and market value thereof;

(b) Aggregate amount of unquoted investments; and

(c) Aggregate amount of impairment in value of investments.

VII. Trade Receivables:

(i) Trade receivables shall be sub-classified as:

(a) Secured, considered good;

(b) Unsecured considered good; and

(c) Doubtful.

(ii) Allowance for bad and doubtful debts shall be disclosed under the relevant heads separately.

(iii) Debts due by directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other person or debts due by firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member should be separately stated.

VIII. Loans:

(i) Loans shall be classified as-

(a) Security Deposits;

(b) Loans to related parties (giving details thereof); and

(c) Other loans (specify nature).

(ii) The above shall also be separately sub-classified as-

(a) Secured, considered good;

(b) Unsecured, considered good; and

(c) Doubtful.

(iii) Allowance for bad and doubtful loans shall be disclosed under the relevant heads separately.

(iv) Loans due by directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other persons or amounts due by firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member should be separately stated.

IndiaCode

IX. Bank deposits with more than 12 months maturity shall be disclosed under 'Other financial assets';

X. Other non-current assets: Other non-current assets shall be classified as-

(i) Capital Advances; and

(ii) Advances other than capital advances;

(1) Advances other than capital advances shall be classified as:

(a) Security Deposits;

(b) Advances to related parties (giving details thereof); and

(c) Other advances (specify nature).

(2) Advances to directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other persons or advances to firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member should be separately stated. In case advances are of the nature of a financial asset as per relevant Ind AS, these are to be disclosed under 'other financial assets' separately.

(iii) Others (specify nature).

B. Current Assets

I. Inventories:

(i) Inventories shall be classified as-

(a) Raw materials;

(b) Work-in-progress;

(c) Finished goods;

(d) Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading);

(e) Stores and spares;

(f) Loose tools; and

(g) Others (specify nature).

(ii) Goods-in-transit shall be disclosed under the relevant sub-head of inventories.

(iii) Mode of valuation shall be stated.

II. Investments:

(i) Investments shall be classified as-

(a) Investments in Equity Instruments;

(b) Investment in Preference Shares;

(c) Investments in government or trust securities;

(d) Investments in debentures or bonds;

(e) Investments in Mutual Funds;

(f) Investments in partnership firms; and

(g) Other investments (specify nature).

Under each classification, details shall be given of names of the bodies corporate that are-

(i) subsidiaries,

IndiaCode

(ii) associates,

(iii) joint ventures, or

(iv) structured entities,

in whom investments have been made and the nature and extent of the investment so made in each such body corporate (showing separately investments which are partly-paid).

(ii) The following shall also be disclosed-

(a) Aggregate amount of quoted investments and market value thereof;

(b) Aggregate amount of unquoted investments;

(c) Aggregate amount of impairment in value of investments.

III. Trade Receivables:

(i) Trade receivables shall be sub-classified as:

(a) Secured, considered good;

(b) Unsecured considered good; and

(c) Doubtful.

(ii) Allowance for bad and doubtful debts shall be disclosed under the relevant heads separately.

(iii) Debts due by directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other person or debts due by firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member should be separately stated.

IV. Cash and cash equivalents: Cash and cash equivalents shall be classified as-

a. Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents);

b. Cheques, drafts on hand;

c. Cash on hand; and

d. Others (specify nature).

V. Loans:

(i) Loans shall be classified as:

(a) Security deposits;

(b) Loans to related parties (giving details thereof); and

(c) Others (specify nature).

(ii) The above shall also be sub-classified as-

(a) Secured, considered good;

(b) Unsecured, considered good; and

(c) Doubtful.

(iii) Allowance for bad and doubtful loans shall be disclosed under the relevant heads separately.

(iv) Loans due by directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other person or amounts due by firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member shall be separately stated.

VI. Other current assets (specify nature): This is an all-inclusive heading, which incorporates current assets that do not fit into any other asset categories. Other current assets shall be classified as-

(i) Advances other than capital advances

IndiaCode

(1) Advances other than capital advances shall be classified as:

(a) Security Deposits;

(b) Advances to related parties (giving details thereof);

(c) Other advances (specify nature).

(2) Advances to directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other persons or advances to firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member should be separately stated.

(ii) Others (specify nature)

C. Cash and Bank balances: The following disclosures with regard to cash and bank balances shall be made:

(a) Earmarked balances with banks (for example, for unpaid dividend) shall be separately stated.

(b) Balances with banks to the extent held as margin money or security against the borrowings, guarantees, other commitments shall be disclosed separately.

(c) Repatriation restrictions, if any, in respect of cash and bank balances shall be separately stated.

D. Equity

I. Equity Share Capital: For each class of equity share capital:

(a) the number and amount of shares authorised;

(b) the number of shares issued, subscribed and fully paid, and subscribed but not fully paid;

(c) par value per share;

(d) a reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the period;

(e) the rights, preferences and restrictions attaching to each class of shares including restrictions on the distribution of dividends and the repayment of capital;

(f) shares in respect of each class in the company held by its holding company or its ultimate holding company including shares held by subsidiaries or associates of the holding company or the ultimate holding company in aggregate;

(g) shares in the company held by each shareholder holding more than five per cent. shares specifying the number of shares held;

(h) shares reserved for issue under options and contracts or commitments for the sale of shares or disinvestment, including the terms and amounts;

(i) for the period of five years immediately preceding the date at which the Balance Sheet is prepared-

- aggregate number and class of shares allotted as fully paid up pursuant to contract without payment being received in cash;
- aggregate number and class of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares; and
- aggregate number and class of shares bought back;

(j) terms of any securities convertible into equity shares issued along with the earliest date of conversion in descending order starting from the farthest such date;

(k) calls unpaid (showing aggregate value of calls unpaid by directors and officers);

(l) forfeited shares (amount originally paid up).

II. Other Equity:

(i) 'Other Reserves' shall be classified in the notes as-

(a) Capital Redemption Reserve;

(b) Debenture Redemption Reserve;

(c) Share Options Outstanding Account; and

(d) Others– (specify the nature and purpose of each reserve and the amount in respect thereof);

(Additions and deductions since last balance sheet to be shown under each of the specified heads)

IndiaCode

(ii) Retained Earnings represents surplus i.e. balance of the relevant column in the Statement of Changes in Equity;

(iii) A reserve specifically represented by earmarked investments shall disclose the fact that it is so represented;

(iv) Debit balance of Statement of Profit and Loss shall be shown as a negative figure under the head 'retained earnings'. Similarly, the balance of 'Other Equity', after adjusting negative balance of retained earnings, if any, shall be shown under the head 'Other Equity' even if the resulting figure is in the negative; and

(v) Under the sub-head 'Other Equity', disclosure shall be made for the nature and amount of each item.

E. Non-Current Liabilities

I. Borrowings:

(i) borrowings shall be classified as-

(a) Bonds or debentures

(b) Term loans

(I) from banks

(II) from other parties

(c) Deferred payment liabilities

(d) Deposits

(e) Loans from related parties

(f) Long term maturities of finance lease obligations

(g) Liability component of compound financial instruments

(h) Other loans (specify nature);

(ii) borrowings shall further be sub-classified as secured and unsecured. Nature of security shall be specified separately in each case.

(iii) where loans have been guaranteed by directors or others, the aggregate amount of such loans under each head shall be disclosed;

(iv) bonds or debentures (along with the rate of interest, and particulars of redemption or conversion, as the case may be) shall be stated in descending order of maturity or conversion, starting from farthest redemption or conversion date, as the case may be. Where bonds/debentures are redeemable by installments, the date of maturity for this purpose must be reckoned as the date on which the first installment becomes due;

(v) particulars of any redeemed bonds or debentures which the company has power to reissue shall be disclosed;

(vi) terms of repayment of term loans and other loans shall be stated; and

(vii) period and amount of default as on the balance sheet date in repayment of borrowings and interest shall be specified separately in each case.

III. Provisions: The amounts shall be classified as-

(a) Provision for employee benefits; and

(b) Others (specify nature).

IV. Other non-current liabilities;

(a) Advances; and

(b) Others (specify nature).

IndiaCode

F. Current Liabilities

I. Borrowings:

(i) Borrowings shall be classified as-

(a) Loans repayable on demand

(I) from banks

(II) from other parties

(b) Loans from related parties

(c) Deposits

(d) Other loans (specify nature);

(ii) borrowings shall further be sub-classified as secured and unsecured. Nature of security shall be specified separately in each case;

(iii) where loans have been guaranteed by directors or others, the aggregate amount of such loans under each head shall be disclosed;

(iv) period and amount of default as on the balance sheet date in repayment of borrowings and interest, shall be specified separately in each case.

II. Other Financial Liabilities: Other Financial liabilities shall be classified as-

(a) Current maturities of long-term debt;

(b) Current maturities of finance lease obligations;

(c) Interest accrued;

(d) Unpaid dividends;

(e) Application money received for allotment of securities to the extent refundable and interest accrued thereon;

(f) Unpaid matured deposits and interest accrued thereon;

(g) Unpaid matured debentures and interest accrued thereon; and

(h) Others (specify nature).

'Long term debt' is a borrowing having a period of more than twelve months at the time of origination

III. Other current liabilities:

The amounts shall be classified as-

(a) revenue received in advance;

(b) other advances (specify nature); and

(c) others (specify nature);

IV. Provisions: The amounts shall be classified as-

(i) provision for employee benefits; and

(ii) others (specify nature).

G. The presentation of liabilities associated with group of assets classified as held for sale and non-current assets classified as held for sale shall be in accordance with the relevant Indian Accounting Standards (Ind ASs).

IndiaCode

H. Contingent Liabilities and Commitments:

(to the extent not provided for)

(i) Contingent Liabilities shall be classified as-

(a) claims against the company not acknowledged as debt;

(b) guarantees excluding financial guarantees; and

(c) other money for which the company is contingently liable.

(ii) Commitments shall be classified as-

(a) estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for;

(b) uncalled liability on shares and other investments partly paid; and

(c) other commitments (specify nature).

I. The amount of dividends proposed to be distributed to equity and preference shareholders for the period and the related amount per share shall be disclosed separately. Arrears of fixed cumulative dividends on irredeemable preference shares shall also be disclosed separately.

J. Where in respect of an issue of securities made for a specific purpose the whole or part of amount has not been used for the specific purpose at the Balance Sheet date, there shall be indicated by way of note how such unutilised amounts have been used or invested.

7. When a company applies an accounting policy retrospectively or makes a restatement of items in the financial statements or when it reclassifies items in its financial statements, the company shall attach to the Balance Sheet, a "Balance Sheet" as at the beginning of the earliest comparative period presented.

8. Share application money pending allotment shall be classified into equity or liability in accordance with relevant Indian Accounting Standards. Share application money to the extent not refundable shall be shown under the head Equity and share application money to the extent refundable shall be separately shown under 'Other financial liabilities'.

9. Preference shares including premium received on issue, shall be classified and presented as 'Equity' or 'Liability' in accordance with the requirements of the relevant Indian Accounting Standards. Accordingly, the disclosure and presentation requirements in this regard applicable to the relevant class of equity or liability shall be applicable *mutatis mutandis* to the preference shares. For instance, redeemable preference shares shall be classified and presented under 'non-current liabilities' as 'borrowings' and the disclosure requirements in this regard applicable to such borrowings shall be applicable *mutatis mutandis* to redeemable preference shares.

10. Compound financial instruments such as convertible debentures, where split into equity and liability components, as per the requirements of the relevant Indian Accounting Standards, shall be classified and presented under the relevant heads in 'Equity' and 'Liabilities'

11. Regulatory Deferral Account Balances shall be presented in the Balance Sheet in accordance with the relevant Indian Accounting Standards.

PART II – STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

Name of the Company……..

Statement of Profit and Loss for the period ended ……

(Rupees in……)

	Particulars	**Note No.**		**Figures for the current reporting period**		**Figures for the previous reporting period**
I	Revenue From Operations					
II	Other Income					
III	Total Income (I+II)					
IV	**EXPENSES** Cost of materials consumed					
	Purchases of Stock-in-Trade					
	Changes in inventories of finished goods, Stock-in -Trade and work-in-progress					
	Employee benefits expense					
	Finance costs					
	Depreciation and amortization expense					
	Other expenses					
	Total expenses (IV)					
V	Profit/(loss) before exceptional items and tax (I- IV)					
VI	Exceptional Items					
VII	Profit/(loss) before tax (V-VI)					
VIII	Tax expense: (1) Current tax (2) Deferred tax					
IX	Profit (Loss) for the period from continuing operations (VII-VIII)					
X	Profit/(loss) from discontinued operations					
XI	Tax expense of discontinued operations					

IndiaCode

XII	Profit/(loss) from Discontinued operations (after tax) (X-XI)					
XIII	Profit/(loss) for the period (IX+XII)					
XIV	Other Comprehensive Income A (i) Items that will not be reclassified to profit or loss (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss B (i) Items that will be reclassified to profit or loss (ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss					
XV	Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV)(Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for the period)					
XVI	Earnings per equity share (for continuing operation): (1) Basic (2) Diluted					
XVII	Earnings per equity share (for discontinued operation): (1) Basic (2) Diluted					
XVIII	Earnings per equity share(for discontinued & continuing operations) (1) Basic (2) Diluted					

IndiaCode

See accompanying notes to the financial statements

Notes:

GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

1. The provisions of this Part shall apply to the income and expenditure account, in like manner as they apply to a Statement of Profit and Loss.

2. The Statement of Profit and Loss shall include:

(1) Profit or loss for the period;

(2) Other Comprehensive Income for the period.

The sum of (1) and (2) above is 'Total Comprehensive Income'.

3. Revenue from operations shall disclose separately in the notes

(a) sale of products (including Excise Duty);

(b) sale of services; and

(c) other operating revenues.

4. Finance Costs: Finance costs shall be classified as-

(a) interest;

(b) dividend on redeemable preference shares;

(c) exchange differences regarded as an adjustment to borrowing costs; and

(d) other borrowing costs (specify nature).

5 Other income: Other income shall be classified as-

(a) interest Income ;

(b) dividend Income; and

(c) other non-operating income (net of expenses directly attributable to such income).

6. Other Comprehensive Income shall be classified into-

(A) Items that will not be reclassified to profit or loss

(i) Changes in revaluation surplus;

(ii) Remeasurements of the defined benefit plans;

(iii) Equity Instruments through Other Comprehensive Income;

(iv) Fair value changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at fair value through profit or loss;

(v) Share of Other Comprehensive Income in Associates and Joint Ventures, to the extent not to be classified into profit or loss; and

(vi) Others (specify nature).

(B) Items that will be reclassified to profit or loss;

(i) Exchange differences in translating the financial statements of a foreign operation;

(ii) Debt Instruments through Other Comprehensive Income;

(iii) The effective portion of gains and loss on hedging instruments in a cash flow hedge;

(iv) Share of Other Comprehensive Income in Associates and Joint Ventures, to the extent to be classified into profit or loss; and

(v) Others (specify nature).

7. Additional Information: A Company shall disclose by way of notes, additional information regarding aggregate expenditure and income on the following items:

(a) employee Benefits expense [showing separately (i) salaries and wages, (ii) contribution to provident and other funds, (iii) share based payments to employees, (iv) staff welfare expenses].

(b) depreciation and amortisation expense;

(c) any item of income or expenditure which exceeds one per cent of the revenue from operations or Rs.10,00,000, whichever is higher, in addition to the consideration of 'materiality' as specified in clause 7 of the General Instructions for Preparation of Financial Statements of a Company;

(d) interest Income;

(e) interest Expense;

(f) dividend income;

(g) net gain or loss on sale of investments;

(h) net gain or loss on foreign currency transaction and translation (other than considered as finance cost);

(i) payments to the auditor as (a) auditor, (b) for taxation matters, (c) for company law matters, (d) for other services, (e) for reimbursement of expenses;

(j) in case of companies covered under section 135, amount of expenditure incurred on corporate social responsibility activities; and

IndiaCode

(k) details of items of exceptional nature;

8. Changes in Regulatory Deferral Account Balances shall be presented in the Statement of Profit and Loss in accordance with the relevant Indian Accounting Standards.

PART III- GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Where a company is required to prepare Consolidated Financial Statements, i.e., consolidated balance sheet, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of profit and loss, the company shall *mutatis mutandis* follow the requirements of this Schedule as applicable to a company in the preparation of balance sheet, statement of changes in equity and statement of profit and loss. In addition, the consolidated financial statements shall disclose the information as per the requirements specified in the applicable Indian Accounting Standards notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, including the following, namely:-

(i) Profit or loss attributable to 'non-controlling interest' and to 'owners of the parent' in the statement of profit and loss shall be presented as allocation for the period. Further, 'total comprehensive income' for the period attributable to 'non-controlling interest' and to 'owners of the parent' shall be presented in the statement of profit and loss as allocation for the period. The aforesaid disclosures for 'total comprehensive income' shall also be made in the statement of changes in equity. In addition to the disclosure requirements in the Indian Accounting Standards, the aforesaid disclosures shall also be made in respect of 'other comprehensive income'.

(ii) 'Non-controlling interests' in the Balance Sheet and in the Statement of Changes in Equity, within equity, shall be presented separately from the equity of the 'owners of the parent'.

(iii) Investments accounted for using the equity method.

2. In Consolidated Financial Statements, the following shall be disclosed by way of additional information:

Name of the entity in the Group	**Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities**		**Share in profit or loss**		**Share in other comprehensive income**		**Share in total comprehensive income**	
	As % of consolidated net assets	Amount	As % of consolidated profit or loss	Amount	As % of consolidated other comprehensive income	Amount	As % of total comprehensive income	Amount
Parent								
Subsidiaries								
Indian								
1.								
2.								
3.								
.								
.								
Foreign								
1.								
2.								
3.								
.								
.								
Non-controlling Interests in all subsidiaries								
Associates (Investment as per the equity method)								
Indian								
1.								
2.								
3.								

India Code

.								
.								
Foreign								
1.								
2.								
3.								
.								
.								
Joint Ventures(investment as per the equity method)								
Indian								
1.								
2.								
3.								
.								
.								
Foreign								
1.								
2.								
3.								
.								
.								
Total								

IndiaCode

3. All subsidiaries, associates and joint ventures (whether Indian or foreign) will be covered under consolidated financial statements.

4. An entity shall disclose the list of subsidiaries or associates or joint ventures which have not been consolidated in the consolidated financial statements along with the reasons of not consolidating.

[F. No. 17/62/2015-CL-V]

AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.

Note: Schedule III of the Companies Act, 2013 came into force with effect from the 1st April, 2014 *vide* Notification S.O. 902(E), dated 26-3-2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.